उम्मीद ही हमें आगे बढ़ाती है
हर व्यक्ति में उम्मीद की अनंत शक्ति छिपी है। विश्वास करो कि तुममें भी वही शक्ति है और वही तुम्हें आगे बढ़ाती है।
- स्वामी विवेकानंद

अनकही | हर शनिवार | प्रशासनिक कसावट के लिए अंग्रेजों ने सूबे की जगह छत्तीसगढ़ को बनाया था कमिश्नरी

अंग्रेज शासनकाल में इस तरह बने तीन जिले रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग

डॉ. सुशील त्रिवेदी | रायपुर

अंग्रेजों ने 1818 में नागपुर राज्य के भोसला शासक से छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रबंधन पहली बार अपने हाथों लिया। लेकिन 1830 में भोसला शासक ने प्रबंधन वापस ले लिया। फिर जब 1854 में नागपुर राज्य का कोई वारिस नहीं रहा तो अंग्रेजों ने पूरा राज्य हड़प लिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और इसे एक सूबा घोषित किया। छत्तीसगढ़ सूबे का मुख्यालय बना रायपुर। अपने प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को सूबे के स्थान पर एक कमिश्नरी अर्थात संभाग घोषित कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि जब रायपुर संभाग बनाया गया तो बस्तर क्षेत्र का प्रशासन भी उसी के अधीन रखा गया।

1856 में बनीं तीन तहसीलें

सन् 1856 में रायपुर कमिश्नरी के अंतर्गत पहली बार रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में तहसील स्थापित की गई। अगले साल दुर्ग में भी तहसील बनाई गई। इधर जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ में अपने प्रशासन के आयाम को अंग्रेज बढ़ा रहे थे वैसे-वैसे उन्हें छत्तीसगढ़ को अलग-अलग जिलों में बांटने की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रक्रिया में पहली बार 1861 में रायपुर को एक जिला घोषित किया गया और बिलासपुर क्षेत्र को अलग कर उसे भी जिले का दर्जा दिया गया। इसी क्रम में 1863 में रायपुर जिले में सिमगा तहसील बनाई गई। और रायपुर जिला चार तहसीलों- रायपुर, धमतरी, दुर्ग और सिमगा तहसीलों- वाला जिला बन गया। खारून नदी और जोंक नदी के बीच आने वाले क्षेत्र तथा शिवनाथ नदी और महानदी के दक्षिण का संपूर्ण खालसा क्षेत्र तथा जमींदारियों को रायपुर जिले में शामिल किया गया। इसके तहत चंद्रपुर, पदमपुर और मालखरौदा जमींदारियां रायपुर से बिलासपुर जिले में चली गई और सोनाखान, सरसींवां, भटगांव, बिलाईगढ़ और कटगी जमीदारियां बिलासपुर से रायपुर जिले में आ गयीं। सोनाखान जमींदारी की पहचान वीरनारायण सिंह के बलिदान के साथ जुड़ी है।

1906 में बना दुर्ग जिला

भारत के राजनीतिक इतिहास की एक बड़ी घटना के रूप में 1905 में बंगाल प्रांत का भूगोल बदल दिया गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले संबलपुर का अधिकांश भाग बंगाल (वर्तमान ओडिसा) को दिया गया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप रायपुर और बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाली तहसीलों के क्षेत्र का पुनर्वितरण किया गया। सन् 1906 में रायपुर और बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों को निकालकर नया जिला दुर्ग बनाया गया। इस प्रक्रिया में रायपुर और बिलासपुर जिले के 1852 गांव दुर्ग जिले में आ गए जबकि बिलासपुर और संबलपुर के 989 गांव रायपुर जिले में आ गए। दुर्ग जिला बनने के साथ ही सिमगा तहसील समाप्त हो गई। सिमगा तहसील का पश्चिम भाग दुर्ग जिले में चला गया और उसके बचे हुए भाग तथा बिलासपुर और रायपुर के कुछ क्षेत्र मिलाकर बलौदाबाजार तहसील बना दी गई। उसी समय महासमुंद के आस-पास के क्षेत्र और देवभोग तथा सरायपाली को मिलाकर महासमुंद तहसील बनाई गई। रायपुर जिले के अंतर्गत बलौदाबाजार और महासमुंद तहसीलों का अपना महत्व शीघ्र स्थापित हो गया।

अनकही में अगले सप्ताह पढ़िए.... महाराजा' थे वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी और 'महारानी' बनीं कैबिनेट मंत्री।

मान्यता बगैर चल रहे निजी स्कूलों में एडमिशन पर रोक

भास्कर न्यूज़ | बिलासपुर

प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूल नए सत्र में छात्रों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि जब तक मान्यता नहीं मिलती, तब तक ऐसे स्कूलों में नए सत्र में छात्रों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 यानी आरटीई के पालन को लेकर विकास तिवारी द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 30 जून को लोक शिक्षण संचालनालय को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। 11 जुलाई को शपथपत्र पेश कर बताया गया कि नर्सरी से केजी-2 तक संचालित स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट संदीप दुबे और मानस वाजपेयी ने आपत्ति दर्ज कराई।

पहले से हो चुके प्रवेश नहीं होंगे निरस्त, पर नए पर रोक

हाई कोर्ट ने यह निर्देश भी जारी किया गया कि फिलहाल प्रदेश की किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में नए छात्रों का प्रवेश न लिया जाए। हालांकि, पहले से हो चुके प्रवेश निरस्त नहीं किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल उन्हीं स्कूलों पर लागू होगा जो अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं कर सके हैं।

लापरवाही • बस्तर जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस के तेजी से फैलने की आशंका

अब तक जापानी इंसेफेलाइटिस के मिले 15 पॉजिटिव, 2 मरीजों की मौत हो चुकी

भास्कर न्यूज़ | जगदलपुर

बस्तर जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) तेजी से फैल रहा है जिले में इस साल अभी तक करीब 15 जेई पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। जेई ने जिले में जनवरी में दस्तक दी थी। इस महीने तीन नए मरीज मिले थे। इसके बाद अप्रैल में 6 नए मरीज मिले मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी रहा और मई में तीन नए मरीज मिले इनमें से दो की मौत हो गई। मृतकों में एक युवक लोहंडीगुड़ा इलाके का रहने वाला था वहीं युवती तोकापाल इलाके की रहने वाली थी।

जून में भी दो नए मरीज मिले जुलाई में कुछ संदिग्ध मरीज मिले हैं। जुलाई से लेकर नवंबर तक जेई संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका है। इस बीच जेई की रोकथाम के लिए पशु विभाग के अफसरों ने फील्ड पर काम करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को विभाग की ओर से जेई को लेकर संवेदनशील माने जाने वाले तोकापाल इलाके के केशलूर में जागरूकता अभियान चलाया गया मई में जिस युवती की मौत हुई थी वह इसी इलाके की रहने वाली थी। ऐसे में पशु विभाग की ओर से यहां सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत इलाके में शिविर लगाकर डॉ मुकेश शर्मा, डॉ देवेश मेश्राम, डॉ चंद्रशेखर ने ग्रामीणों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देते सुअर पालन करने वालों को विशेष रूप से सजग रहने के लिए कहा। शर्मा ने सुअर पालन करने वालों से कहा कि यदि गांव में सुअर की मौत होती है तो उसका पोस्टमार्टम जरूर कराएं। मच्छरों से बचाव के लिये मच्छरदानी लगाने एवं पशुबाड़े में धुआं जरूर करें। इसके साथ ही 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से जापानीस इंसेफेलाइटिस का टीका लगवाएं।

मच्छरों को मारने, जेई संदिग्धों को ढूंढने जैसी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे

जगदलपुर। पशु विभाग का अमला जागरूकता अभियान चलाते हुए।

इधर जापानी इंसेफेलाइटिस को मनुष्यों में फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी जनपद और स्वास्थ्य विभाग के कंधों पर है लेकिन इन दोनों विभागों की ओर से अभी तक कोई जागरूकता कार्यक्रम, जांच अभियान, मच्छरों को मारने का अभियान, दवा छिड़काव जैसा काम शुरू ही नहीं हो पाया है। गांव-गांव में कितने जेई के संदिग्ध मरीज हैं यह पता नहीं।

क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है जापानी इंसेफेलाइटिस

जापानी बुखार, जिसे जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है, एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है. यह बीमारी क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलती है, जो जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित होते हैं। अधिकांश मामलों में, संक्रमण हल्का होता है या कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, जिसमें बुखार, सिरदर्द, उल्टी, भ्रम और दौरे शामिल हैं। यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों और सुअरों में पाया जाता है ।

मच्छरदानी लगाएं फुल बाजू के कपड़े पहनें, बचाव का यह तरीका

जेई पॉजिटिव अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं या हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में, बुखार, सिरदर्द, उल्टी, भ्रम, दौरे और कोमा हो सकता है। जापानी इंसेफेलाइटिस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों के काटने से बचना, मच्छरदानी का उपयोग करना, पूरे बाजू के कपड़े पहनना और कीटनाशकों का उपयोग करना है, बच्चो के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एसएस टीकाम ने कहा कि पशु विभाग से पत्राचार किया गया है।

पढ़ने के लिए... कहीं बरसाती नाला पार करना पड़ रहा, कहीं कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही

अंतागढ़ में 14 बच्चे कमर तक भरा नाला पार कर जाते हैं स्कूल

कांकेर| कांकेर से 100 किमी दूर अंतागढ़ विकासखंड में स्थित है ग्राम केसालपारा। केसालपारा तथा कानागांव के बीच एक नाला बहता है जिस पर पुल नहीं है। इस नाला में बारिश के दिनों में पहाड़ से आने वाला पानी तेज प्रवाह से बहता है। मिडिल स्कूल की पढ़ाई करने 14 छात्रों को कमर तक पानी पार कर कानागांव स्कूल आना जाना करना पड़ता है।

74 बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी जिला शिक्षा का आदेश किया रद्द

भिलाई|10 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नर्सरी में प्रवेश लेकर केजी 2 तक पढ़ाई पूरी करने वाले 74 छात्रों अपनी आगे की पढ़ाई उन्हीं स्कूल में करते रहेंगे। शुक्रवार को हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले में 5 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया हैं। हाई कोर्ट के उक्त आदेश के बाद शिक्षा विभाग के सभी 74 बच्चों का प्रवेश निरस्ती का आदेश रद्द हो गया। जानकारी के मुताबिक जिन 74 बच्चों को स्कूल से निकाला गया था, उनमें 4 बच्चों को कोर्ट ने पहले ही स्टे दे दिया था। इसके बाद 7 बच्चों ने भी कोर्ट में आवेदन लगाया था।

एडवोकेट सौरभ चौबे ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हैं। जबकि कलेक्टर की कमेटी ने सभी 74 बच्चों को पढ़ाई जारी रखने का आदेश पहले भी दिया था।

युवक को उठाकर हाथी ने पटका, हाईवे 15 मिनट बंद

धमतरी| शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक हाथी जंगल से निकलकर मैदानी इलाके में पहुंच गया। ग्रामीणों ने उसे रींवागहन के पास देखा। हाथी को देख इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग ने हाथी-मानव टकराव रोकने सुरक्षा बढ़ा दी। डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव, कुरूद एसडीएम नभसिंह कोसले समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की। इसी दौरान रींवागहन में बाइक सवार दो युवकों का हाथी से आमना-सामना हो गया। दोनों बाइक छोड़कर भागे। भेंड्रा निवासी मिथिलेश साहू (23) सड़क पर गिर गया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर पटक दिया। युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। हाथी रातभर में करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय किया है। सुरक्षा के लिहाज से 20 से अधिक गांव में अलर्ट जारी किया है।

विवि के छात्रों से बोले राज्यपाल- शिक्षक ऐसा पढ़ाएं जिसे विद्यार्थी जीवन भर याद रखें

भास्कर न्यूज़ | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने शुक्रवार को डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राध्यापक ऐसा पढ़ाएं कि विद्यार्थी जीवन भर याद रखें। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी विद्यार्थियों से प्राध्यापक को जुड़े रहने का आह्वान किया। राज्यपाल को कुलपति एवं कुलसचिव ने विश्वविद्यालय के विशिष्टताओं से अवगत कराया।

राज्यपाल शुक्रवार को अचानक सीवीआरयू पहुंचे। कैंपस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग अध्यक्षों और प्राध्यापकों की

बैठक भी ली। उन्होंने इस दौरान सभी प्राध्यापकों से कहा कि आदर्श शिक्षक वही होता है, जिसे विद्यार्थी जीवन भर याद रखें। उनके पढ़ाई पाठ को हमेशा याद रखें और उनके बताएं आदर्श को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने कहा कि हमें आदर्श शिक्षक बनना होगा। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से जल्द ही लागू किया जाए।

हाई कोर्ट का आदेश

डीएनए टेस्ट के आदेश के खिलाफ अपील हुई खारिज

भास्कर न्यूज़ | बिलासपुर

डीएनए टेस्ट करवाने के आदेश के खिलाफ एडवोकेट की अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उनकी जूनियर रही महिला वकील ने अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने और इस वजह से बच्चे के जन्म का दावा करते हुए फैमिली कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की थी। कोर्ट ने इसे मंजूर किया था। इसके खिलाफ अपील की गई थी।

कोरबा निवासी श्यामलाल मल्लिक पर उनकी जूनियर रही 37 वर्ष की महिला वकील ने शारीरिक संबंध बनाने और इस कारण बच्चे का जन्म होने का दावा करते हुए कहा कि वे बच्चे के बॉयोलॉजिकल पिता हैं। जूनियर के तौर पर काम करने के दौरान एडवोकेट ने उनका यौन शोषण किया। उसे और बच्चे को अधिकार नहीं मिलने पर फैमिली कोर्ट से डीएनए टेस्ट के जरिए पितृत्व की जांच करने की मांग की गई थी। फैमिली कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2024 को आवेदन स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में इस आदेश को दो अलग- अलग याचिकाओं के जरिए चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा- पहले ही तय हो चुका अधिकार क्षेत्र

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पहले ही तय हो चुका है, जिसमें हाई कोर्ट ने माना था कि प्रतिवादी द्वारा मांगी गई राहत फैमिली कोर्ट के दायरे में आती है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इवान रथिनम मामले में है कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश देने से पहले साक्ष्यों की अपर्याप्तता और पक्षों के हितों का संतुलन जरूरी है। चूंकि साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए, इसलिए डीएनए टेस्ट की अनुमति दी गई।

शिक्षकों की कमी, वादे पर खुले स्कूल के गेट

भास्कर न्यूज़ | धमतरी

युक्तियुक्तकरण के बावजूद जिले में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई है। अब भी करीब 150 शिक्षकों के पद खाली हैं। सबसे ज्यादा नगरी ब्लाक में ही है। यहां करीब 106 शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की कमी के कारण शंकरदाह स्कूल में पालकों ने शाला प्रवेशोत्सव का बहिष्कार कर दिया है, साथ ही शुक्रवार को स्कूल में तालाबंदी कर दी। पालक शिक्षक की मांग कर रहे थे। कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देने के बावजूद शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई। नाराज पालकों ने सुबह 9 बजे स्कूल के गेट में ताला लगा दिया।

शाला प्रबंधन समिति, छात्र-छात्रा स्कूल के बाहर बैठकर शिक्षक की मांग करते रहे। 2 घंटे बाद जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पालक व बच्चों को समझाया। पालक मानने को राजी नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी मनमानी कर रहा है। स्कूल के ग्रंथपाल को शिक्षा विभाग में अटैच कर दिया।

वायरल वीडियो से हुआ खुलासा

14 बच्चों को काटा, 10 कुत्तों को टीआई ने एयरगन से मारा

भास्कर न्यूज़ | कांकेर

कोतवाली अंतर्गत पुलिस लाइन सिंगारभाट इलाके में पागल कुत्तों का आतंक खत्म करने नक्सल प्रभावित जिले में पदस्थ टीआई पर आरोप है, उन्होंने एयरगन से गोलियां बरसा 10 कुत्तों को ढेर कर दिया। ये कुत्ते इलाके के 14 बच्चों को काट चुके थे। इनमें कुछ कुत्ते पागल भी हो चुके थे। इन कुत्तों से इलाके में भारी दहशत थी। टीआई की इस कार्रवाई से पुलिस लाइन के लोगों ने राहत की सांस तो ली है लेकिन पशु प्रेमी टीआई की इस करतूत को गलत बता रहे हैं।

एक सप्ताह से पुलिस लाईन इलाके में पागल कुत्तों ने आंतक मचा रखा था। कुत्तों ने पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के 14 बच्चों को काट लिया। पुलिस लाइन के लोग खासे परेशान थे। शिकायत के बाद भी कुत्तों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी।

आरोप बेबुनियाद, मेरे पास एयरगन नहीं

टीआई पवन ठाकुर ने कहा पूरे घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर लगा आरोप बेबुनियाद है। घटना 9 जुलाई की है तथा इस दिन मैं निजी कार्य से परिवार के साथ गरियाबंद गया था। 10 जुलाई की सुबह आया तो घर के सामने कुत्तों के शव पड़े थे। कुत्तों को एयरगन से मारने की बात कही जा रही है जबकि मेरे पास एयरगन थी जिसे मैं पहले ही बेच चुका हूं।

शराबी भाई व भतीजों ने गर्भवती से की मारपीट, शिशु की मौत

भास्कर न्यूज़ | भिलाई

जामुल थाना अंतर्गत गर्भवती महिला से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना दो साल पहले की है। मुख्य आरोपी समरजीत रजक ने शराब के नशे में पीड़िता की मां से गाली-गलौच करने लगा। विरोध करने बेटी के साथ आरोपी ने अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर मां-बेटी के साथ जमकर मारपीट कर दी। डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नई धाराएं जोड़कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थाना पुलिस ने बताया कि मामले में राजीव नगर जामुल निवासी असरफ देवी (55 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थिया ने पुलिस को बताया कि एक अक्टूबर 2023 की शाम करीब 7 बजे वह अपने घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ी थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाला समरजीत शराब के नशे में उसके घर के सामने खड़े होकर अकारण गाली-गलौच करने लगा। यह सुनकर उसकी बड़ी बेटी सोनमति एवं छोटी बेटी कु.शारदा भी घर के बाहर निकल आए। उन्हें भी देखकर समरजीत गलियां देने लगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
ई-निविदा सूचना
ई-निविदा नोटिस नं.: TRS-BIA-25-26-RSP-CBC-08
कार्य का नाम: CBC कपलर ऑपरेटिंग हैंडल को नीचे से ऊपर संचालित में संशोधित करने हेतु। काम की लागत: ₹ 40,05,139.19 (रु. चालीस लाख पांच हजार एक सौ उनतालीस और उन्नीस पैसे मात्र), बोली सुरक्षा / बयाना राशि जमा: ₹ 80,100.00 (रु. अस्सी हजार एक सौ मात्र), कार्य की पूर्णता अवधि: स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 24 (चौबीस) महीने । निविदा समाप्ति की तिथि और समय: दिनांक 01.08.2025 को 11:30 बजे। वेबसाइट विवरण और निविदा के विवरण यहां देखे जा सकते हैं http://www.ireps.gov.in
सहायक मंडल विद्युत अभियंता
(क. व. स्टा), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, भिलाई
PR/R/ADEE/TRS/PC/97
South East Central Railway @secrail

पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पंजी. कार्यालय : पीएसईबी मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813
वेबसाइट: www.pspcl.in फोन नं. 96461-17606
PSPCL
निविदा पूछताछ संख्या: 168/MM-1/MAMC-272/O&M/GHTP/2025
उप मुख्य अभियंता, यांत्रिकी, मंडल-1/GHTP, लहरा मोहब्बत द्वारा विभिन्न 2x115 TR एवं 4x90/115 TR शीत जल प्रकार के वातानुकूलित संयंत्रों, 2x50 TR DX प्रकार के वातानुकूलित संयंत्रों, पैकेज वातानुकूलित इकाइयों, जल-शीतित वेंटिलेशन प्रणाली के चौबीसों घंटे संचालन, रखरखाव एवं ओवरहालिंग तथा GHTP चरण-1 एवं II के विंडो/स्प्लिट वातानुकूलित संयंत्रों, जल-शीतित वातानुकूलित संयंत्रों/वायुमंडलीय प्रशीतकों के रखरखाव एवं ओवरहालिंग तथा वातानुकूलित संयंत्रों/वायुमंडलीय प्रशीतकों आदि के रखरखाव एवं ओवरहालिंग के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु एकमुश्त आधार पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देशों के लिए कृपया 11-07-2025 को दोपहर 1:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें। नोट: शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे।
1079/12/2025-26/1123 GHTP53/25

उम्मीद दिवस आज | आराधना का स्पंदन संस्थान कैंसर पीड़ितों की मदद करता है

कैंसर से जीती जंग, अब मरीजों को जीने का सिखा रहीं अंदाज

रामप्रताप सिंह | बिलासपुर

बिलासपुर की आराधना त्रिपाठी ने खुद कैंसर से जंग जीत ली है। अब अन्य कैंसर पीड़ितों का मनोबल बढ़ा रही हैं। उनकी काउंसिलिंग करती हैं। उनके इलाज में हर संभव मदद कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने स्पंदन नाम संस्था बनाई है। इस संस्था में सभी कैंसर फाइटर हैं आराधना त्रिपाठी की जुबानी, उनके जंग की कहानी-

फरवरी 2012 में मुझे पता चला सेकंड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। छोटी छोटी बातों से डरने वाली मैं एकदम हताश हो गई। कैंसर के बारे में लोगों की बातों ने डर को और बढ़ाया। मेरे पति स्व. सुरेश त्रिपाठी ने मुझे हौसला दिया। अपोलो बिलासपुर में ऑपरेशन हुआ। इसके बाद मैं मुंबई के चार और दिल्ली के दो अस्पतालों का ट्रीटमेंट के लिए चक्कर लगे। फिर हमने अपने शहर में इलाज कराने की ठानी। बिलासपुर में इलाज शुरू हुआ। बीमारी थोड़ी कम हुई। कीमो चढ़ा, जैसा लोग बता रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं लगा। 8 महीने इलाज के बाद ठीक हुई। पति ने कहा कि अपने अनुभव का उपयोग करना चाहिए। अब मैं किचन का काम छोड़ और लोगों की काउंसिलिंग करूं। धीरे-धीरे कब मैं काउंलर बन गई पता नहीं चला।

2019 में बनाई स्पंदन संस्था, इसमें सभी कैंसर पीड़ित

2019 में मैंने स्पंदन संस्था बनाई। इसमें कैंसर पीड़ित 8 लोग जुड़े। जो अन्य पीड़ितों की काउंसिलिंग और इलाज में मेरी मदद करने लगे। आज इस संस्था से 17 लोग जुड़े हैं। जो कैंसर की जंग जीत कर अन्य लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं।

5 हजार का स्पेशल ब्रेजियर 1 हजार में दे रही

आराधना ने बताया कि कैंसर पीड़ितों के लिए स्पेशल ब्रेजियर (ब्रा) बना रही हैं। उनकी बीमारी के दौरान वो इसके लिए भी बहुत परेशान हुई थीं। बहुत ही महंगा मिलता था। आज दिल्ली सहित बड़े-बड़े शहरों में इसका रेट 5 हजार रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि वे इसे तैयार कर 1 हजार रुपए में पूरे भारत में सप्लाई करती हैं। हर जगह से मांग आ रही है।

संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर
द्वितीय तल, सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)
E-mail :www.sanskriti.rajbhasha@gmail.com.in,
Webside : www.cgculture.in phone no: 0771-2995629 (O)
क्रमांक 6599 / संस्कृति एवं राजभाषा / निविदा/2025 रायपुर, दिनांक 11/07/2025

संशोधित निविदा संक्षिप्त सूचना

संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के विज्ञापन क्र 6365 / सं.रा. / निविदा 2025 **दिनांक 9.06.2025** के तहत द्वारा दो वर्ष के लिए विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों/ सम्मेलनों / प्रदर्शनी / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की भागीदारी को सुगम बनाने हेतु ऑनलाईन निविदा निविदाकर्ताओं के एम्पैनलमेंट हेतु निविदा प्रकाशित किया गया था । निविदा के शर्त क्र. 10 में L1 में 04 निविदा कर्ताओं का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जाना था उसमें संशोधन करते हुए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले सभी निविदा कर्ताओं का वित्तीय प्रस्ताव खोला जावेगा ।

संचालक
जी-252602147 संस्कृति एवं राजभाषा

न्यायालय आतिरिक्त तहसीलदार 03 रायपुर
मामले की श्रेणी: राजस्व
संदर्भ:- जिला - रायपुर तहसील- रायपुर प.ह.न. - 00072
डूंडा ग्राम के नामांतरण पंजी में
पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक-. RD202425440726700187

ईश्तहार

तहसील रायपुर के प.ह.न. 00072 के अंतर्गत ग्राम डूंडा के वर्तमान भूमिस्वामी सरिता बाजपेयी पिता/पति-पति संजय बाजपेयी पता-शंकरनगर रायपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 566/3(0.2020), 568/1(0.1620) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर पिता/पति-पता-रायपुर के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण /अभिलेख दुरूस्ती /खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28/07/2025 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय आतिरिक्त तहसीलदार 03 रायपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं / अधिवक्ता / आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 11/07/2025 को जारी किया जाता है।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार: Prakash soni रायपुर